राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 1(291)एम.ई/ग्रुप–1/2017 जयपुर, दिनांक 27 APR 2018

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1 (175)एम.ई./गुप–1/2017 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा डॉ0 श्रुति शर्मा (मेरिट क्रमांक 11 सामान्य महिला, जन्म तिथि 28.06.1987) को वरिष्ठ प्रदर्शक, माईक्रोबायोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ0 श्रुति शर्मा को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना था।

डॉ0 श्रुति शर्मा द्वारा न तो पदस्थापन स्थान पर निर्धारित स्थान समयावधि में कार्यग्रहण किया गया और न ही इस बाबत किसी प्रकार प्रार्थना पत्र अथवा कोई सूचना आदि ही इस विभाग में प्रस्तुत की गयी। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा के पत्रांक प.2( ) स्वा0राज0/2018/ 823 दिनांक 20.04.2018 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ0 श्रुति शर्मा ने दिनांक 20.04.2018 तक वरिष्ठ प्रदर्शक माईक्रोबायोलोजी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ0 श्रुति शर्मा उक्त नियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की इच्छुक नहीं है। अतः डॉ0 श्रुति शर्मा के द्वारा नवनियुक्ति स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(175)एम.ई. /गुप–1/2017 दिनांक 17.10.2017 के द्वारा उनका वरिष्ठ प्रदर्शक, माईक्रोबायोलोजी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आदेश से,

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनक पत्रांक 7(34)भर्ती/गोपनीय/2014–15/231 दिनांक 18.07.2017 के संबंध में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, कोटा।
4. डॉ0 श्रुति शर्मा पत्नी श्री आशीष पारीक 20, नेहरू नगर, केसरी चन्द चौधरी नगर के पीछे, अजमेर रोड, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) 302004 **(रजिस्टर्ड डाक से)**
5. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव